न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

46 / 2025

श्री किशनलाल गुर्जर पुत्र स्व0 श्री ग्यारसी लाल गुर्जर निवासी एस.बी.आई. बैंक के पास झिलाय रोड निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज. --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई (भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई टोंक) --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 26.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई (भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई टोंक) को आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

(1) प्रार्थी की अवाप्ताधीन सम्पत्ति जो कि खसरा नं. 1891 वाके निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा भुगतान नोटिस क्रमांक / भूमि अवाप्ति / 2025 / 120 दिनांक-28 / 01 / 2025 प्रार्थी को जारी किया गया था, प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति का एक अन्य भुगतान नोटिस क्रमांक / भूमि आंवटन / 2025 / 187 दिनांक-28 / 01 / 2025 श्री शिवदयाल, ब्रह्मप्रकाश पि. रामकरण गुर्जर के नाम जारी किया गया है, उक्त नोटिस जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाहियों / आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(2) प्रार्थी द्वारा दिनांक-12 / 09 / 2024 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्ति पर आज तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाहियों की सत्यप्रति । उक्त आपत्ति दिनांक-12 / 09 / 2024 की फोटो प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

(3) शिवदयाल, ब्रह्मप्रकाश व अन्य के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक-30 / 04 / 2024 की सत्यप्रति व उक्त आपत्ति पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाहियों की सत्यप्रति।

(4) शिवदयाल, ब्रह्मप्रकाश व अन्य के पक्ष में जारी भुगतान नोटिस दिनांक-28 / 01 / 2025 की सत्यप्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को पत्र कमांक 880 दिनांक 22.05.2025 व 1016 दिनांक 06.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक 1021 दिनांक 4.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 710 दिनांक 03.04.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गयी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई (भूमि अवाप्ति अधिकारी निवाई टोंक) तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक